

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से स्वाभाविक मृत्यु में 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) एवं दुर्घटना मृत्यु में 02 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल ₹ 290000/- (दो लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रित का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० बेचन शर्मा, 47, स्व० कपलेश्वर शर्मा, अनु० जाति	श्रीमती भुलिया देवी(पत्नी)	138/13.6. 2019	ग्रा०+पं०-बैरो, वार्ड नं० 09, था०+प्र०+जि०-सुपौल	10810010 30047648	Uttar bihar gramin bank, Bairo, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० फुलझरिया देवी, 47, अनु० जाति	श्री अशोक पासवान (पति)	139/13.6. 2019	ग्रा०-मरिचा, पो०-खरैल, पं०-कर्णपुर, वार्ड नं० 12, था०+प्र०+जि०-सुपौल	44961041 0000217	Bank of India, Supaul, BKID0004496	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
3	स्व० उपेन्द्र चौधरी, 61, स्व० बलदेव चौधरी, पि० वर्ग	श्रीमती गीता देवी(पत्नी)	140/13.6. 2019	ग्रा०+पं०+पो०-बैरो, वार्ड नं० 10, था०+प्र०+जि०-सुपौल	10810010 30016064	Uttar bihar gramin bank, Bairo, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० शिव नारायण मंडल, 59, स्व० बौअन मंडल, अ० पि० वर्ग	श्रीमती आनंदी देवी(पत्नी)	141/13.6. 2019	ग्रा०+पो०-चौहट्टा, वार्ड नं० 09, था०+प्र०-किशानपुर, सुपौल	31018987 814	State bank of India, Tharbitia, Suapul, SBIN0008744	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
5	स्व० माला देवी, 31, अनु० जाति	श्री मनोज ऋषिदेव (पति)	143/13.6. 2019	ग्रा०+पो०-डपरखा, टोला विशानपुर, वार्ड नं० 13, था०+प्र०-त्रिवेणीगंज, सुपौल	22980001 00112073	PNB, Triveniganj, Supaul, PUNB0229800	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर का कार्य

कुल :- ₹ 290000/-

(दो लाख नब्बे हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-38/2019 के पृष्ठ-03/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(अनुराधा कुमारी)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-38/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(अनुराधा कुमारी)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-38/2019-265


पटना, दिनांक :- 31-07-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 290000/- (दो लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


29/07/19
(अनुराधा कुमारी)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


31/07/19
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।